



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट में 03 अभियुक्त को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व ₹15,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०-245/2012 धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय स्पे० जज ईसी एक्ट/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बाबू लेन्डर उर्फ इसरायल पुत्र जमील अहमद नि० हैदरगंज कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 2. सोनू उर्फ जावेद पुत्र मुन्ना उर्फ गुच्चा नि० मु० उपरौस कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 3.गज्जू उर्फ आरिफ पुत्र कन्टा उर्फ मुबारक नि० कम्हरिया थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को ₹5,000-5000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी सुशील कुमार  
त्रिपाठी



विवेचक-  
उ०नि० हवलदार  
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा  
का० प्रदीप भार्गव